राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ10(9)ग्रावि / नरेगा / सहा.कार्य ।अधि. / 2010 जयपुर दिनांकः 11 SEP 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, बूंदी।

विषयः– सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को 10 प्रतिशत निर्धारण बाबत मार्गदर्शन हेतु।

प्रसंगः– आपके पत्र क्रमांक एमजीनरेगा / संस्थापना / 2012–13 / 299 दिनांक 09.08.2012 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है, कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2011 के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के RS-CIT के कोर्स को मान्यता दी हुई है, इस कोर्स के पूर्ण करने पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा योग्यता प्राप्त करने की तिथि से ही रूपये 15,000 मासिक मानदेय देय है, इससे पूर्व रूपये 13,000 ही मासिक मानदेय दिये जायेंगे।

सहायक कार्यक्रम अधिकारियों ने राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का RS-CIT का कोर्स पूरा कर लिया है तथा उनका कार्य संतोषनजक है तो रूपये 15,000 प्रतिमाह मानदेय मानते हुए 10 प्रतिशत मानदेय बढोतरी उनकी एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी। यदि किसी सहायक कार्यक्रम अधिकारी ने राजस्थान कॉरपोरेशन लिमिटेड का RS-CIT का कोर्स पास नहीं किया है तो उसे इस विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 29.04.2011 के अनुसार अनुबन्ध समाप्त कर सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद से हटा दिया जावे।

उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(बद्रीनारायण)
अति0 आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
2. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बूंदी को छोड़कर।

अति0 आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस